Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Review Article

स्थानीय भाषाएँ, संस्कृति और लोक परम्पराएँ शिक्षण उपकरण के रूप में

जगदीश यादव

सहायक प्रोफेसर, हिंदी विभाग, चाँद गर्लस स्कूल महाविद्यालय, इटवा, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author: * जगदीश यादव

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19454290

सारांश

भाषा भावों का सार कहा जाता है। पृथ्वी पर पाये जाने वाले प्रत्येक प्राणी तथा जीव की अपनी एक भाषा होती है। वह अपने मावो तथा विचारों को उसी के माध्यम से एक दूसरे के मध्य तक पहुंचाता है, एवं उनके भावों और विचारों को भी इसी भाव के माध्यम से समझता है। इसका रूप, अर्थ तथा लिपि भले ही अलग-अलग रूपो में हो सकता है। एक सर्वे के मुताबिक यह भी पाया गया हैं कि पूरे विश्व में लगभग तीन हजार से अधिक भाषा बोली जाती है। परन्तु बहुत सी बोलियों एवं भाषाएँ व्यवहारएवं लेखन में अपना स्थान ने बना पाने के कारण मृत्युपाय हो चुकी है। यह एक सभ्य तथा पढ़े-लिखे समाज के लिए अभिशाप के समान भी माना जा सकता है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 26-02-2026
- **Accepted:** 23-03-2026
- **Published:** 07-04-2026
- **MRR:**4(4); 2026: 95-96
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

जगदीश यादव. स्थानीय भाषाएँ, संस्कृति और लोक परम्पराएँ शिक्षण उपकरण के रूप में. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(4):95-96.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

कुंजी शब्द: शिक्षा सुधार, साक्षरता विकास, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, प्राथमिक शिक्षा, भारतीय शैक्षिक प्रणाली

परिचय

आज के इस वैज्ञानिक युग में मनुष्य जहाँ गणित, विज्ञान, प्रकृति विज्ञान एवं अन्तरिक्ष के छपे रहस्यों को को उजागर कर रहा है, परन्तु अपनी मातृभाषा एवं बोली को बचा पाने में असफल होता जा रहा है। यह भी शैक्षणिक उन्नति में एक विडम्बना ही कहा जा सकता है। आज पूरे विश्व स्तर पर विकास के क्षेत्र में वे राष्ट्र सबसे आगे हैं, जिन लोगों ने अपने मातृमाषा में खोज अनुसंधान तथा ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाया है। यह भी एक विमर्श का विषय माना जाता रहा है। आज भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक सबसे बड़ी कमी मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा एवं संस्कृति का संचय तथा संवर्धन उस स्तर से. नहीं किया जा रहा है, जैसा होना चाहिए।

भाषा एवं संस्कृति

यदि व्यक्ति अपने भाषा एवं संस्कृति से हट जायेगा तो वह अपने देश एवं समाज में लुप्त प्राय हो जायेगा। उसमें सामाजिक समरसता त्या समायोजना और वातस्तविक जीवन दर्शन का लोप हो जायेगा। भाषा तथा संस्कृति को ज्ञान एवं सभ्यता का वाहक तथा मार्ग भी माना जाता है। भाषा अपने उदभव काल से ही अपने पहचान प्रयोग एवं प्रचलन के माध्यम से एक राज्य समाज तथा दूसरे रय समाज देश तथा अन्तराष्ट्रीय

© 2026 जगदीश यादव. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

स्तर तक चलती रही है। जिसे हम वैश्विक स्वर तक इसी के माध्यम से ही पहँुच सके। आज हिन्दी पूरे भारत वर्ष की राष्ट्र भाषा के रूप में अपना स्थना नहीं बना सकी है। इसे राष्ट्र का दुर्भाग्य ही माना जा सकता है, कि विश्व का एक ऐसा भी राष्ट्र है।
जिसकी कोई अपनी एक भाषा नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छे 22 में यह कहा गया है, कि ‘‘भारत में कही भी रहने वाले नागरिको को किसी भी वर्ग को अपनी विशिट भाषा, लिपि या संस्कृति को अक्षुण करने का अधिकार होगा। संघ की राजभाषा के रूप में अनु (343) में हिन्दी को राज्य भाषा तथा देवनागरी लिपि को संघ की लिपि की मान्यता दिया गया है। उपर्युक्त तथ्यों के साथ ही साथ सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि लोक भाषा तथा संस्कृति का विकास किस माध्यम से किया जाये जैसे विकसित राष्ट्र अपनी भाषा एवं संस्कृति का संवर्धन तथा विकास कर रहे है जैसे ब्रिटेन (अंग्रेजी तथा रोमन माषा) जापान (जापानी भाषा) रूस (रूसी भाषा) अमेरिका (लैटिन स्थानीय भाषा एवं अंग्रेजी भाषा) इसी तरह भारत को भी स्थानीय भाषाएँ लोक संस्कृति तथा परम्पराओं को शैक्षिक उपकरण के माध्यम से इसे पूरे राष्ट्र के साथ ही साथ विश्व स्तर पर स्थापित किया जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महात्मा गाँधी जी के २२ तथा 23 अक्टूबर 1937 ई० में बनाये गये (वर्धा शिक्षा योजना) में सर्वप्रथम मातृभाषा लोक परम्पराएँ तथा संस्कृष्ति को शामिल कर एक मजबूत शिक्षा नीति को बनाया गया था। जिसके बारे में उन्होने कहा था‘‘ प्रत्येक बालक को इस शिक्षा में निष्ठा होगी। यह शिक्षा भारती संस्कृति, सभ्यता और आवश्यकता का आधार है।

प्रथम आयोग का गठन 1948-49

वर्धा शिक्षा योजना में जहाँ एक तरफ शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तथा स्थानीय बोलियों को माध्यम बनाने का सुझाव दिया गया तो दूसरी तरफ ग्रह शिल्प एवं कताई-बुष्नाई को सामिल करने का एक उद्देश्य यह भी माना गया था, कि बालक शिक्षा पूरा करने के उपरान्त जब जीविकोपर्याजन के क्षेत्र में जायेगा तो उसे नौकरी अथवा कार्य के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा वह स्वावलम्बन के क्षेत्र में स्वतह आगे बढ़ जायेगा यहाँ पर इसे शिक्षा के उपकरण के माध्यम से आगे बढ़ने का सुझाव दिये जाने का प्रयास किया गया था। आजाद भारत के प्रथम आयोग का गठन 1948-49 में किया गया था। यह आयोग उच्चशिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में तत्कालीन सरकार द्वारा आयोग था। परन्तु इस आयोग ने भी ‘भाषा, साहित्य तथा संस्कृति‘ के विकास के लिए विद्वानों के प्रति सुझाव को प्रस्तुत किया था, तथा सभी विद्वानों ने इस बिन्दु को बिना किसी संशोधन के माध्यम से ही मान लिया था। यह भाषा परम्परा, तथा लोक परम्परा को शिक्षा में संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम आयोग भी माना जाता है। इस आयोग में भी शिक्षा को एक अभिकरण के रूप में स्थापित करने सार्थक प्रयास भी माना जा सकता है।.

1964-6650 में कोठारी आयोग

समय के साथ ही साथ 1964-6650 में कोठारी आयोग नें शिक्षा, के प्राथमिक स्तर पर मातृ भाषा की अनिवार्यता पर अधिक जोर दिया, तथा यह भी माना कि भारत देश में में मातृभाषा सभी भाषाओं से सर्वोपरि भाषा है। विशेष कर हिन्दी को सबसे उत्तम मातृभाषा होने का दर्जा का भी प्रदान किया, साथ ही साथ विभाषा सूत्र का फार्मूला अपनाते हुए जहाँ हिन्दी भाषी लोग या राज्य नहीं है, वहीं पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने पर पर बल प्रदान किया साथ ही साथ ज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा को भी द्वितीय भाषा अथवा सहायक भाषा के रूप में भी एक महत्वपूर्ण दर्जा भी प्रदान किया गया था।
इसका उद्देश्य यहीं था कि जब तक बालक प्राथमिक स्तर से अपनी मातृभाषा का अध्ययन नहीं करेगा तब तक वह का अनुभव अपने सभ्यता तथा संस्कृति के विशद ज्ञान का तथा संर्वधर नहीं कर सकता है।

निष्कर्ष

अतः यह कहा जा सकता है, कि राष्ट्रीय विकास तथा प्रगति के लिए यह आवश्यक है, कि शिक्षा के के उपकरण के रूप में लोक भाषा, बोली परस्परा तथा संस्कृति को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये तथा उसका संवर्धर्न एवं प्रसार आत्म निष्ठा तथा पूरे लगन एवं कर्तव्य के साथ किया जाए जिससे विश्व को ज्ञान तथा मानवता का सर्वप्रथम् ज्ञान एवं प्रकाश देने वाला यह भारत वर्ष अपने गौरव को बनाये रखने में सक्षम तथा सशक्त बन सके।

सन्दर्भ

1. प्रो० सरभू प्रसाद चैबे, डा० अखिलेश चैबे. भारतीय शिक्षा का अधिकार: इतिहास; हिमालय पब्लिशिंग हाउस (Landmarks in Modern Indian Education के रूप में उपलब्ध है) 2022.
2. डा० बी० एन० पी. शुक्ल, डा० ओंकार नाथ त्रिपाठी. हिंदी भाषा-साहित्य का इतिहास तथा काव्य-विवेचन; (यह विशिष्ट पुस्तक ऑनलाइन स्पष्ट प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं मिला — यदि यह Acharya Ramchandra Shukla के *Hindi Sahitya Ka Itihas* जैसा ज्ञान-आधार है तो उसका मूल प्रकाशन वर्ष 1952 है लेकिन कई पुनर्मुद्रण संस्करण मौजूद हैं).
3. कश्यप सुभाष. हमारा संविधान. नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया; (आम तौर पर *हमारा संविधान* पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2019/2020 के आसपास होता है क्योंकि यह केंद्र शासित पाठ्य-सामग्री का मानक संस्करण है — लेकिन सटीक वर्ष संदर्भित प्रतियों में अलग हो सकता है).

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the corresponding author

जगदीश यादव हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में चाँद गर्ल्स स्कूल महाविद्यालय, इटवा, सिद्धार्थनगर (उत्तर प्रदेश) में कार्यरत हैं। वे हिंदी साहित्य, भाषा शिक्षण और अकादमिक अनुसंधान में सक्रिय हैं तथा विद्यार्थियों के बौद्धिक एवं भाषाई विकास हेतु समर्पित रहते हैं।

© 2026 जगदीश यादव. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/